


पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित  
नहीं थे। वकील वादीगण एवं वादीगण को  
तीन बार आवाजेँ लगवायीं गयीं। बाद में  
बार-बार आवाजेँ लगवायीं गयीं। किन्तु  
वादीगण एवं वकील वादीगण न्यायालय  
में उपस्थित नहीं हुए। अतः वाद पत्र  
अदम हाजरी अदम चैरवी में खारिज किया  
जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद  
तकमील दाखिल दफ्तर है।

17/8/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित  
नहीं थे। वकील वादीगण एवं वादीगण को  
तीन बार आवाजेँ लगवायीं गयीं। बाद में  
बार-बार आवाजेँ लगवायीं गयीं। किन्तु  
वादीगण एवं वकील वादीगण न्यायालय  
में उपस्थित नहीं हुए। अतः वाद पत्र  
अदम हाजरी अदम चैरवी में खारिज किया  
जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद  
तकमील दाखिल दफ्तर है।

26.10.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित  
नहीं थे। वकील वादीगण एवं वादीगण को  
तीन बार आवाजेँ लगवायीं गयीं। बाद में  
बार-बार आवाजेँ लगवायीं गयीं। किन्तु  
वादीगण एवं वकील वादीगण न्यायालय  
में उपस्थित नहीं हुए। अतः वाद पत्र  
अदम हाजरी अदम चैरवी में खारिज किया  
जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद  
तकमील दाखिल दफ्तर है।

  
उपखण्ड आधेकारी  
नैनवाँ (बून्दी)

